

डाक व्यव्य को पूर्व अदायगी के लिए डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2001—अग्रहायण 12, शक 1923

#### परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2001

#### अधिसूचना

क्रमांक 795/परिवि./2001.—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में एक-राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन करती है।

#### 2. परिषद् का स्वरूप निम्नानुसार होगा—

(1) मंत्री, परिवहन विभाग	अध्यक्ष
(2) मंत्री, लोक निर्याण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
(3) राज्य मंत्री, गृह, परिवहन, नगरीय प्रशासन व विकास	सदस्य
(4) जन प्रतिनिधिगण (चार)	सदस्य
(विधायक/सांसद-अध्यक्ष द्वारा मनोनीत).	
(5) अध्यक्ष, राज्य परिवहन निगम	सदस्य
(6) विश्वविद्यालय के कुलपति (एक) (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य
(7) ट्रांसपोर्ट आपरेटर के प्रतिनिधि	सदस्य
(एक यात्री ट्रांसपोर्ट एवं एक गुड्स ट्रांसपोर्ट से संबंधित अध्यक्ष द्वारा मनोनीत).	

(8) आटो मोबाइल/यातायात-यांत्रिकी क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ (दो)	सदस्य
(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत).	
(9) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स	सदस्य
(10) क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन	सदस्य
(11) सचिव, गृह, परिवहन विभाग	सदस्य
(12) सचिव, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन तथा पर्यावरण विभाग	सदस्य
(13) सचिव, पर्यटन विभाग	सदस्य
(14) सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
(15) पुलिस महानिदेशक	सदस्य
(16) उपायुक्त परिवहन	सदस्य
(17) प्रबंध संचालक, इक्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन	सदस्य
(18) पुलिस उप महानिरीक्षक (यातायात)	सदस्य-सचिव.

परिषद् के अध्यक्ष किसी भी व्यवसायिक विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में अथवा विशेष आमंत्रितों के रूप में परिषद् की बैठक में सहयोजित कर सकते हैं।

### 3. परिषद् के विचारणीय विषय और कार्य निम्नलिखित होंगे :—

- (1) सड़क परिवहन के क्षेत्र में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये सुरक्षा नीतियों, उपायों एवं समन्वय संबंधी परामर्श देना।
- (2) यातायात पुलिस को बेहतर ढंग से संगठित एवं सुसज्जित करने वालत परामर्श देना।
- (3) विभिन्न राज्य सड़क सुरक्षा संगठनों तथा सड़क परिवहन से संबंधित एजेन्सियों द्वारा कार्यान्वयन हेतु समन्वित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करना एवं आवश्यक अनुशंसा देना।
- (4) बच्चों एवं नागरिकों को सड़क नियमों के संबंध में जानकारी देने के लिये उपाय करना।
- (5) सड़क परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा के पहलुओं में सुधार लाने के लिये अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सुझाव देना जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के अंकड़ों को रखा जाना और विश्लेषण करना भी सम्मिलित होगा।
- (6) यातायात दुर्घटनाओं में घायल एवं मृतकों के परिवारजनों को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने संबंधी नियमों की जानकारी देना एवं उन्हें उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में मदद करना।
- (7) जिला एवं संभागीय स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति के कार्यों की परिवेक्षण।

4. परिषद् वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक आयोजित करेगी।

5. परिषद् अपने कार्यकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं कार्यविधि के बारे में स्वयं निर्णय करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. विज, संयुक्त सचिव।

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2001

क्रमांक 795/परि.वि./2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 3 दिसंबर, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. विज, संयुक्त सचिव।

Raipur, the 3rd December 2001

## NOTIFICATION

No. 795/Tr. D./2001.—State Government in exercise of powers conferred by sub-section 2 of Section 215 of Motor Vehicle Act, 1988 hereby constitutes a State Road Safety Council under the Chairmanship of Transport Minister, Government of Chhattisgarh.

## 2. The composition of the council shall be as follows :—

(1)	Minister, Transport Department	Chairman
(2)	Minister, Public Works Department	Member
	Urban Administration and Environment Department.	
(3)	Minister of State, Home, Transport & Urban Administration and Environment Department.	Member
(4)	Public Representatives (Four) (MLAs/MPs. to be nominated by Chairman)	Member
(5)	Chairman, Road Transport Corporation	Member
(6)	Vice-Chancellor of one University (To be nominated by Chairman)	Member
(7)	Representatives of Transport Operators (One from 'Passenger Transport' & the other from 'Goods Transport' to be nominated by the Chairman).	Member
(8)	Experts from the field of Automobile/Traffic Engineering (Two) (To be nominated by the Chairman).	Member
(9)	Chairman, Chhattisgarh Chamber of Commerce	Member
(10)	Regional Manager, Indian Oil Corporation	Member
(11)	Secretary, Home & Transport Department	Member
(12)	Secretary, Public Works Department Urban Administration and Environment Department.	Member
(13)	Secretary, Tourism Department	Member
(14)	Secretary, School Education Department	Member
(15)	Inspector General of Police	Member
(16)	Deputy Transport Commissioner	Member
(17)	Managing Director Infrastructure Development Corporation Chhattisgarh.	Member
(18)	Deputy Inspector General of Police (Traffic)	Member-Secretary.

The Chairman of the council may co-opt. any other professional experts as members or as special invitees to the meeting of the Council.

## 3. The terms of reference and functions of the Council will be as follows :—

- (1) to advice on all matters pertaining to security policies, measures and co-ordination for the prevention of accidents in the sphere of road transport.
- (2) to advice on matters relating to better organization and well-equipment of the traffic police.
- (3) to formulate and recommend road safety programmes for implementation by various State Road Security Organization & Road Transport Agencies.
- (4) to suggest measures pertaining to the dissemination of traffic rules to children and citizens.
- (5) to suggest areas for research and development to improve safety aspects in the road transport sector including presentation of statistics of road accidents and their analysis.

- (6) to suggest ways to disseminate information and to help in ensuring proper payment of compensation to the injured and the family members of the deceased persons in respect of road accidents.
- (7) to supervise the activities of divisional & district road safety committees.

4. The Council will hold its meeting at least once in a year.

5. The Council shall decide the procedure and methodology to be adopted for its functioning.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
R. K. VIJ, Joint Secretary.